[illegible] में आवेदन [illegible] ने काउन्टर क्लेम पेश किया
प्रकरण काउन्टर क्लेम के जवाब हेतु दिनांक [illegible] को पेश हो।

23-11-15 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी जी अन्य कार्य में है पत्रावली सविक आदेश दिनांक 28-12-15 को पेश हो।

आदेश से रीडर

28-12-2015 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित। आज वर्क सस्पेंड है अतः पत्रावली सविक आदेश में दिनांक 18-4-2016 को पेश हो

आदेश से रीडर

18-4-16 पत्रावली पेश हुवी उभयपक्ष उप पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य मे व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली सविक आदेश दिनांक 16-5-16 को पेश हो।

आदेश से रीडर

8-6-16

पत्रावली कोर्ट कैम्प [illegible] पर पेश। वादीगण मय [illegible] सूचना के अनुपस्थित प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित। वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम [illegible] मे वादीगण के पिता [illegible] के सह खातेदारी अधिकार एवं

[illegible]
[illegible]

आधिपत्य की आराजी संख्या 362 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, 366 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 370 रकबा 19 बिस्वा आराजी संख्या 371 रकबा 19 बिस्वा कुल कीता 04 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा स्थित है जिसमे वादीगण के पिता कैलाश का 1/3 हक, हिस्सा निहित है. शेष हिस्सा 1/3, 1/3 हक, व हिस्सा उनके भाई मोहन, व बाबूलाल भील का है. इसी हक, व हिस्से अनुसार सभी सहखातेदारान संयुक्त रूप से काबिज हो उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है।

यह है कि कैलाश भील की निधन उपरांत विवादित आराजियात का 1/3 हक, व हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 एवं बगता के नाम पर गलत एवं अवैध तरीके से भूमि लिखित हो जाने के उपरांत बगता का भी निधन हो गया। जिस कारण उसका हक, व हिस्सा प्रतिवादी सं. 02 व 3 के नाम पर विरासत में दर्ज किया गया उक्त गलत अवैध अंतरण को नाजायज अर्जित करने के उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हक, व हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 जेहरी को तथाकथित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया गया। व प्रतिवादी सं. 2 ने भी अपना तथाकथित हक, व हिस्सा अपने ही भाई प्रति. सं. 2 को दानकर दिया व तथाकथित दानपत्र प्रतिवादी सं. 2 के हक, मे प्रतिवादी सं. 3 द्वारा किये गये तथा उक्त हस्तान्तरणों के आधार पर खोले गये जो गलत अवैध शून्य होकर वादीगण के मुकाबले मे प्रभावहीन होकर अमान्य है।

अत

अत: डिक्री घोषणात्मक, बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाई जावे। वादीगण विवादित आराजियात के 1/3 हक व हिस्से के सहखातेदार काश्तकार है तथा तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे विवादित आराजियात का 1/3 हक, हिस्सा वादीगण अपने नाम सहखातेदारी हक मे शामिल लिखित कर इन्द्राज दुरस्ती कराई जावे।

(उम्मेद सिंह राजावत)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

..वाद पत्र की प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर लिया गया। प्रतिवादी वकील की बहस पर मनन किया गया। दिनांक 1.9.2011 को विक्रय रजिस्टर्ड बैनामा से लहका 510 नारु भीका के मादु मेंगीलाल को प्राप्त हुई थी विक्रय पत्र के ताबामत से दर्ज रेवाड़े हुई है। हल्का तहसीलदार से मौका जाँच कराने पर मौके पर काबजा प्रतिवादी का है।

अतः वादीगण का वाद अस्वीकार किया जा कर खारीज किया जाता है। वादी सक्षम न्यायालय में विक्रय पत्र को निरस्त कराने का वाद दायर कर सकता है।

आज दिनांक 8.6.16 को कोर्ट टाइम्स आदलिया पर खुले आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से नाम है।

(उम्मेद सिंह राजावत)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- उम्मेद सिंह राजावत R.A.S

1 श्रीमती देऊ पुत्री केसा भील w/o मोहन भील नि० भदालीखेड़ा
2 श्रीमती धूमा पुत्री केसा पत्नी रत्ना भील
3 श्रीमती गंगा पुत्री केसा पत्नी [illegible]
4 श्रीमती नानू — " — [illegible]
5 श्रीमती हाथ [illegible] भील नि० भदालीखेड़ा

उनवान

1 लक्ष्मी [illegible] भील भदालीखेड़ा
2 नंदा पिता [illegible] भील
3 [illegible] पुत्री [illegible] नंदा भील

बनाम

4 लहरी [illegible] भील भदालीखेड़ा
5 [illegible] पिता रत्ना भील — " —
6 भेरू पिता [illegible] " [illegible]
7 मांगूलाल पिता [illegible] भील [illegible]
8 तहसीलदार भीलवाड़ा

बाबत [illegible]

मुकदमा नम्बर :- 108/13

निर्णय दिनांक :- 8.6.16

वादी की ओर से .... की व प्रतिवादी की ओर से [illegible] की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 8.6.16 को [illegible] (नाम पीठासीन अधिकारी भीलवाड़ा) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है वादी सक्षम न्यायालय में विधि द्वारा निरस्त कराने हेतु वाद दायर कर सकता है

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 8.6.16 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(उम्मेद सिंह राजावत)
लोक अदालत ( )
उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

वाद के खर्चे